संख्या–भा0स0–33 / 14–2–2016–800(148) / 2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 12 फरवरी, 2016

विषयः– विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0 51) के चौड़ीकरण हेतु (1) सम्भल में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनो जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / 06 / 10 / 2016 / एफसी / 1381, दिनांक 04–2–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को मूलरूप में वापस किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव को मूलरूप में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लगायी गयी कतिपय बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– यथोपरि।**

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।